राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1133/2024

रामवतार सैनी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ज्योति नगर, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कोम, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.03.2024
आदेश की दिनांक : 22.03.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अजय शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में टैक्निशियन–ाा के पद पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिडेट, दौसा में सहायक अभियन्ता गीजगढ़ दौसा में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 21.04.2012 को हुई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सहायक अभियन्ता (पवस) गीजगढ से सहायक अभियन्ता (पवस) खौहरामुल्ला किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा विमलेश मीना के स्थानान्तरण आदेश को रद्द कर दिया उसका नाम दिनांक 20.02.2024 के आदेश में क्रम संख्या 5 पर है। रामकेश मीणा जिसका स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.02.2024 द्वारा गीजगढ़ से खौहरामुल्ला किया गया था उसका आदेश भी निरस्त कर यथावत रख दिया। आदेश दिनांक 20.02.2024 द्वारा जब विमलेश मीना को भी कार्यमुक्त कर दिया गया था, तब कार्यमुक्ति आदेश को रद्द किए बिना स्थानान्तरण आदेश को रद्द करना कानूनी रूप से सहीं नहीं था। अपीलार्थी के पिता लकवाग्रस्त है और 2021 से पूरी तरह से बिस्तर पर है और ह्रदय रोग और अन्य बुढापे की बीमारी से पीड़ित है (अनुलग्नक–3)। उन्हें उक्त बीमारियों के लिए नियमित जांच और उपचार की आवश्यकता है। अपीलार्थी ने अपने उच्च अधिकारियों से किसी अन्य

स्थान पर स्थानान्तरित किए जाने का अनुरोध किया परन्तु अपीलार्थी के मामले पर विचार नहीं किया गया। आदेश दिनांक 20.02.2024 द्वारा अपीलार्थी के साथ रामकेश मीणा का स्थानान्तरण सहायक अभियन्ता (पवस) सिकराय से सहायक अभियन्ता (पवस) खौहरामुल्ला किया गया था, का प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा सहायक अभियन्ता (पवस) सिकराय से सहायक अभियन्ता (पवस) खौहरामुल्ला से सहायक अभियन्ता (पवस) बांदीकुई ग्रामीण में स्थानान्तरण किया गया। प्रत्यर्थी विभाग अपने कर्मियों को अलग–अलग स्थानों पर अलग–अलग स्थानान्तरण आदेश द्वारा स्थानान्तरित कर दिया है। आदेश दिनांक 19.02.2024 (अनुलग्नक–5) द्वारा 12 व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों पर स्थानान्तरित किया गया है, लेकिन उच्च प्रभाव एवं सम्पर्क के कारण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–6) द्वारा कुछ व्यक्तियों का स्थानान्तरण आदेश को रद्द कर उनको वर्तमान पदस्थापन स्थान पर बरकरार रखा गया। स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग प्रभाव एवं उच्च सिफारिश के तहत कार्यरत कई व्यक्तियों को अनुचित लाभ पंहुचाया है तथा मनमाने एवं दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपीलार्थी का स्थानन्तरण किया है एवं अपीलार्थी के पिता की बीमार स्थिति को भी विचार नहीं कर 70 कि.मी. दूर स्थानान्तरण कर दिया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पद पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया।

अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अपील दायर की, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण सहायक अभियन्ता (पवस) गीजगढ से सहायक अभियन्ता (पवस) खौहरामुल्ला किया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर दिनांक 02.01.2019 से कार्यरत है। स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.02.2024 द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात स्थानान्तरित किया गया है तथा इस आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि एवं नियम विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपने कार्मिकों के स्थानान्तरण करने के पश्चात बड़ी संख्या में कर्मचारियों के स्थानान्तरण आगामी 4–5 दिन में ही निरस्त किए गये है। इससे स्पष्ट है कि स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता की जांच किए बिना जारी किए है या फिर मनमाने तरीके से स्थानान्तरण करके उनको निरस्त किया गया है, जो प्रत्यर्थी विभाग के स्तर पर उचित नहीं है।

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस. कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:—

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य